न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक अपील 1586–पीबीआर/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 13–1–2012 पारित द्वारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर, प्रकरण कमांक 231/2011–12/अपील

1–श्रीमती कृष्णाकुमारी पत्नी हरनामसिंह
2–हरनामसिंह पुत्र छोटेसिंह
निवासीगण ग्राम गादेर तहसील गुना जिला गुना

.....अपीलार्थीगण

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर जिला गुना
2–वनमण्डल अधिकारी वन मण्डल, गुना .....प्रत्यर्थीगण

श्री एस0के0वाजपेयी, अभिभाषक, अपीलार्थीगण
श्री बी0एन0त्यागी, अभिभाषक, प्रत्यर्थीगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 02/08/2016 को पारित)

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 44(2) के अंतर्गत अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कमांक 1 द्वारा ग्राम गादेर स्थित भूमि सर्वे कमांक 8 रकबा 6.510 हेक्टेयर के संबंध में संहिता की धारा 107 के अन्तर्गत नक्शा दुरूस्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा प्रकरण कमांक 3/अ–74/2000–01 दर्ज कर दिनांक 11–2–2002 को आदेश पारित किया जाकर आवेदन पत्र निरस्त किया गया । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 3–5–2003 को आदेश पारित कर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर प्रकरण कतिपय निर्देशों के साथ कलेक्टर को

प्रत्यावर्तित किया गया । कलेक्टर द्वारा अपर आयुक्त के आदेश के पालन में कार्यवाही कर दिनांक 13–6–2011 को आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि से अपीलार्थी कमांक 1 का नाम कम किया जाकर खसरा, खतौनी दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये गये । कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 13–1–2012 को आदेश पारित कर अपील अग्राह्य की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नक्शे में त्रुटिवश अपीलार्थीगण की भूमि प्रत्यर्थी कमांक 2 की भूमि में मिल गई है, इसलिये अपीलार्थीगण द्वारा नक्शे में संशोधन चाहा गया था, जिसे नहीं करने में कलेक्टर द्वारा अवैधानिक कार्यवाही की गई है और कलेक्टर का आदेश स्थिर रखने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि अपीलार्थीगण की ओर से अपर आयुक्त के समक्ष न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये थे, परन्तु अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विवेचना नहीं की गई है कि प्रकरण में न्यायदृष्टांत क्यों लागू नहीं होते हैं । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वनमण्डल की भूमि नहीं होकर अपीलार्थीगण की निजी भूमि है और यदि अपीलार्थीगण द्वारा फर्जी नाम दर्ज कराया गया था, तब अपीलार्थीगण को नोटिस देना था, परन्तु आवेदन पत्र निरस्त करने में कलेक्टर द्वारा त्रुटि की गई है ।

4/ प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है। उनके द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण के निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा विधिवत् जॉच कराई जाकर यह पाते हुये कि पूर्व में प्रश्नाधीन भूमि मिल्कियत सरकार जंगलात दर्ज है और त्रुटिवश आवेदिका कमांक 1 का नाम दर्ज हो गया है । आवेदिका कमांक 1 का आवेदन पत्र निरस्त करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । साथ ही वन विभाग की भूमि आवेदिका के खाते से कम कर खसरा खतौनी दुरूस्त करने के आदेश देने में भी पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । कलेक्टर के समक्ष आवेदकगण की ओर से ऐसे कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जा सके हैं जिससे

प्रश्नाधीन भूमि उनके स्वामित्व की सिद्ध हो सके । दर्शित परिस्थितियों में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश विधिसंगत आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई अवैधानिकता नहीं की गई है, इसलिये उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13–1–2012 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर